

नय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

21 / 2018

तारीखरजु - 11/01/18

जिला कलक्टर

उनवान:- श्रीमन आदि बनाम गौरया वगैर

वत बटवारा इस्तरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188,88,53

फर्द अहकाम

वादी की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने दावा दाखल इस्तरारहक/वटवारा/स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188,88,53 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 19.12.18 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर  
टोडाभीम जिला करौली

12.18

वादी वकील उप0/प्रतिवादी नं. 1 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने उपस्थित दर्ज करी प्रतिवादी नं. 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं की प.0.सा0 अज्ञात पर ए0 अज्ञात दि 17-1-19 को पेश हो।

18

वकुलाय उप0/प्रतिवादी नं. 2 के विकल्प एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है वकालतनामा व जबाब पेश करे दि 23-1-19 को पेश हो।

19

वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी 3/02 का कार्य है। अतः पत्रावली गताबुखर दिनांक 31-1-19 को पेश हो।

31-1-19


वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी श्री ली श्री ली है। अतः पत्रावली गताबुखर दिनांक 11-2-19 को पेश हो।

11-2-19

पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासन अधिकारी का.रु.न.स.व.स्था में व्यस्त दिनांक 26.2.19 को पेश हो।

8.7.19

वकुलाय उपस्थित । बादी वकील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि टाइपिंग मिस्टेक से दावा टाईप गलत टाईप हो गया है इसलिए यह दावा Not Press में खारिज कर दिया जावे । बादी वकील द्वारा ~~Not~~ Not-Press में दावा खारिज करने वाले प्रार्थना पत्र पेश करने पर दावा बादी Not Press में खारिज किया जाता है पत्रावली फॉर्मल नुमां होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।

  
 उप जिला कलक्टर  
 टोडाभीम (करीली)